



2026:AHC: 128504

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19845/2026

यशपाल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: जग नारायण, सत्येन्द्र सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन थाना- लोधा, जिला- अलीगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 144 वर्ष 2026, बी.एन.एस. की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरण है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि एफ.आई.आर. में आवेदक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सहित कुल छह व्यक्तियों को नामजद किया गया है। मुख्य अभिकथन सह-अभियुक्त सर्वेश के विरुद्ध लगाया गया है। पैसे का लेनदेन सूचनादाता और सह-अभियुक्त सर्वेश के बीच हुआ था। आवेदक और सूचनादाता के बीच पैसे का कोई लेनदेन नहीं हुआ है। सरकारी नौकरी दिलाने के संबंध में आवेदक के विरुद्ध एक सामान्य अभिकथन किया गया है। अपराध विशेष रूप से मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक 30.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों, अभिकथनों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा व्यतीत की गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त की अनुपस्थिति पर विचार करने के बाद, और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत देने का मामला बना लिया है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- **यशपाल** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए कि:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(i) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा, जब न्यायालय में गवाह उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, बिना पर्याप्त कारण के, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 229-ए/ बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि, आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82/ बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार भा.द.सं. की धारा 174-ए/ बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) वाद शुरू होने, (2) आरोप विरचित करने और (3) दं.प्र.सं. की धारा 313/ बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करना खुला होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां साक्षीगण की गवाही के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

22 जून, 2026

ए.पी. पाण्डेय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”